

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती स्थान भिनगा।

मुकदमा सं०:- 2593/2018

सरकार बनाम:- राजेश

धारा:- एम०वी०एक्ट

थाना:- गिलौला

जिला:- श्रावस्ती

दिनांक: 14.05.2022

पत्रावली आज लोक अदालत में पेश की गयी।

अभियुक्त **राजेश** द्वारा प्रार्थना पत्र जुर्म इकबाल प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त **राजेश** को धारा एम०वी०एक्ट के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा अपने जुर्म स्वीकृति प्रार्थना पत्र में अत्यन्त गरीब होने एवं कम से कम

अर्थदण्ड से दण्डित करने की प्रार्थना की गयी है। अभियुक्त को धारा

एम०वी०एक्ट में मु० 50/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता

है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 दिन का साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

जे०एम०

श्रावस्ती।